राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांकः प. 2 (1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक 27.7.2020

परिपत्र

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के अंतर्गत संशोधन/मार्गदर्शन संबंधी प्रकरण वित्त (जीएण्डटी) विभाग को संदर्भित किये जाने के क्रम में।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते है परन्तु प्रस्तावों में कई कमियां होने के कारण अधिकांश प्रस्ताव को कमियों की पूर्ति हेतु बार–बार लौटाना होता है। जिससे प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग दोनों का समय एवं श्रम व्यर्थ होता है। अतः प्रशासनिक विभाग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों में आवश्यक संशोधन/मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें:–

(1) प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विस्तृत, बिन्दुवार, स्पष्ट एवं स्वस्फूर्त टिप्पणी (Self Contained Note) सहित होना चाहिए।

(2) विभाग द्वारा वर्तमान प्रचलित नियमों/परिपत्रों के तहत किये जा रहे उपापन में महसूस की जा रही कठिनाईयों का साक्ष्य सहित विवरण हो।

(3) बोलीदाता, जिसका नाम अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के बोली लगाने वालों के स्त्रोत/प्रवर्ग में जोडा जाना प्रस्तावित किया गया है, उस बोलीदाता के उपापन की विषयवस्तु के संबंध में माल का उत्पादक या विनिर्माता होने, सेवा का विशिष्ट सेवा प्रदाता होने, संकर्म का निष्पादनकर्ता होने संबंधी दस्तावेज संलग्न किये जावें। साथ ही बोलीदाता द्वारा पूर्व 3 वित्तीय वर्षों में उपापन की विषयवस्तु के संबंध में वर्षवार टर्नओवर के दस्तावेज संलग्न किये जावें। बोलीदाता के कार्यक्षेत्र के संबंध में दस्तावेज यथा Memorandum of Association(MOA) व Article of Association(AOA), विधान, पंजीकरण दस्तावेज आदि संलग्न किये जावें।

बोलीदाता की श्रेणी यथा

- राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड होने;
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी होने;
- केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारो के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन होने;
- स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित या स्वामित्वाधीन होने या
- अन्य

का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा प्रेषित किया जा रहा प्रस्ताव आरटीपीपी एक्ट, 2012 की धारा 6(2) के अनुरूप है।

(4) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में वर्तमान में प्रभावी नियम, प्रस्तावित एवं उनका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए निम्न प्रारूप में प्रस्ताव भिजवाये जावें:–

क्र. सं.	RTPP नियमों में वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप	प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् नियमों की परिवर्तित स्थिति	प्रस्तावित संशोधनों का पूर्ण औचित्य
1	2	3	4	5

(5) प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत विस्तृत टिप्पणी आवश्यक रूप से भिजवायी जावें। इसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

(निरंजन कुमार आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला क्लेक्टर/ संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव